न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या 83/2017

1. ओमप्रकाश
2. महावीर

} पिसरान श्री रामलाल जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – वादीगण

–:: बनाम ::–

1. रामलाल पुत्र श्री मामराज जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. आत्माराम पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी गांव मुन्नावाली तहसील डबवाली जिला सिरसा (हरियाणा)
3. कमला (पुत्री रामलाल) पत्नी श्री जोतराम
4. पुष्पा (पुत्री रामलाल) पत्नी श्री लालचन्द } कौम जाट निवासीयान गांव सांवतसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा व खाता तकसीम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता — वादीगण
2. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता — प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 24.06.2017

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 22 व किला नम्बर 23/1 की कुल 5.652 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि वादीगण के पिताजी रामलाल पुत्र श्री मामराज के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है उक्त कृषि भूमि वादीगण के दादाजी मामराज के देहान्त के पश्चात वादीगण के पिताजी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण के दादाजी से वादीगण के पिताजी/प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई होने के कारण विरास्तन जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है जिसे वादीगण घोषित करवाने के अधिकारी है। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/54 की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है।

यह कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने पारस्परिक सहमति से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हैक्टर कृषि भूमि का निम्न प्रकार घरेलू बंटवारा किया हुआ है :–

बंटवारा अनुसार रकबा प्राप्तकर्ता	रकबा का विवरण
ओमप्रकाश पुत्र श्री रामलाल कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 3/.127, 4/.253, 7/.253, 13/.126, 14/.253, 15/.253 {.228 नहरी + .025 खाला}, 16/0.253 {.228 नहरी + 0.025 खाला}, 17/.253, 18/.127 = 1.898 हैक्टर {1.848 नहरी + .050 खाला}

A2/

महावीर पुत्र श्री रामलाल कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1/.252, 2/.252, 3/.126, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 20/.253, 21/.253, = 1.895 हैक्टर नहरी
रामलाल पुत्र श्री मामराज कौम जाट साकिन दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 5/.253 {.227 नहरी + .026 खाला}, 6/.253 {.228 नहरी + .025 खाला}, 8/0.253, 9/.253, 13/.127, 18/.126, 19/.253, 22/.253, 23/1 का .088, = 1.859 हैक्टर {1.808 नहरी + .051 खाला} नहरी

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 घरेलू बंटवारा द्वारा अपने अपने हिस्सा में आई उक्त वर्णित कृषि भूमि के काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 3 ने इस बंटवारा में कोई हक व हिस्सा नहीं लिया है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम ग्राम मुन्नावाली में दर्ज कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 को घरेलू बंटवारा में दी गई है इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने इस बंटवारा में कोई हक व हिस्सा नहीं लिया है। इस घरेलू बंटवारा अनुसार वादीगण को प्राप्त हुई भूमि को घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जाना जरूरी है।

उक्त विभाजन में आई भूमि वादीगण के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादीगण को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकते है, ना ही इस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकते है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण तथा वह उसका खातेदार मालिक दर्ज होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 1, वादीगण को उक्त कृषि भूमि से जबरदस्ती बेदखल कर उसका बेचान करने की धमकियां देते रहते है ।

प्रतिवादी संख्या 1 उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादीगण अपने हिस्से में आई कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने, प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 23.05.2017 को, वादीगण को बंटवारा में दी गई कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतू कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया है । यही बिनाय मुखास्मत है।

अतः वाद पत्र पेश करने निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :–

1. प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र मामराज के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 22 व किला नम्बर 23/1 की कुल 5.652 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन घोषित किया जावे ।
2. उक्त बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे तथा अलग–अलग लगान कायम किया जावे।
3. वादीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।
4. कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे ।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया।

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत लाधुवाला में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के मध्य लोक अदालत की भावना आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक दिनांक 20.06.2017 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री ऋषिपाल जोशी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की पहचान श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

A2 3

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि दावा में पक्षकारान का पंचायत वा मौतबिरान लोगो ने राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। घरेलू बंटवारानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र मामराज के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 कें किला नम्बर 1 ता 22 व किला नम्बर 23/1 की कुल 5.652 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन करके वादी संख्या 1 ओमप्रकाश को 1.898 हैक्टर तथा वादी संख्या 2 महावीर को 1.895 हैक्टर कृषि भूमि दी हुई है।

अतः उक्त राजीनामानुसार प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र मामराज के नाम दर्ज चक 4 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के संयुक्त खाता संख्या 55/54 के मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 1 ता 22 व किला नम्बर 23/1 की कुल 5.652 हैक्टर नहरी मय खाला कृषि भूमि का वाद पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित टेबल अनुसार विभाजन करके वादी संख्या 1 ओमप्रकाश को 1.898 हैक्टर तथा वादी संख्या 2 महावीर को 1.895 हैक्टर कृषि भूमि घोषित की जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

राज पैरोकार/नायब तहसीलदार चुनावढ़ द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि भूमि का विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है। पक्षकारान में राजीनामा हो चुका है राज्य सरकार से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। राज्य हितो को मध्यनजर रखते हुए निर्णय पारित करनें बाबत निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया। इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई. आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर.आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई. आर.1966 (एस.सी..) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपने पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखा धड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

मुल्ला के हिन्दु कानून की धारा 221—22 के अनुसार सयुक्त परिवार की सम्पति पर भी पुत्र पुत्रियों का जन्म से अधिकार होता है। इसके अतिरिक्त धारा 227 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार का कोई भी सदस्य स्वयं अर्जित सम्पति को भी संयुक्त परिवार की सम्पति में शामिल कर सकता है। इस कारण उक्त वर्णित भूमि संयुक्त सम्पति की श्रेणी में आती है। जिसमें सभी हिन्दु परिवार के सदस्यों का समान हक है एवम् बंटवारा करवा सकता है। अपनें कथनों की पुष्टि हेतु आर.आर.डी. 1981 के पेज 512 एवम् आर.आर.डी. 1978 पेज 375 (एच.सी.) पेश किये।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि चक 6 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 55/54 की 5.652 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो विरास्तन प्राप्त है।

—:: आदेश ::—

वादीगण एवम् प्रतिवादीगणों के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत चक 6 क्यू. पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2068—2071 खाता संख्या 55/54 की 5.652 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 औमप्रकाश पुत्र रामलाल को 1.898 हैक्टर भूमि, वादी संख्या 2 महावीर पुत्र रामलाल को 1.895 हैक्टर भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल पुत्र मामराज को 1.859 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :—

1. वादी सख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र श्री रामलाल जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 क्यू.	55/54	35	3/.127, 4/.253, 7/.253, 13/.126, 14/.253, 15/.253 {.228 नहरी + .025 खाला}, 16/0.253 {.228 नहरी + 0.025 खाला}, 17/.253, 18/.127	1.898 हैक्टर मय गैर मुमकिन

2. वादी सख्या 2 महावीर पुत्र श्री रामलाल जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :—

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 क्यू.	55/54	35	1/.252, 2/.252, 3/.126, 10/.253, 11/.253, 12/.253, 20/.253, 21/.253,	1.895 हैक्टर

A7/5

3. प्रतिवादी सख्या 1 श्री रामलाल पुत्र श्री मामराज जाति जाट गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के हक हिस्सा की भूमि :–

चक नम्बर	खाता नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर	कुल भूमि
4 क्यू	55/54	35	5/.253 {.227 नहरी + .026 खाला}, 6/.253 {.228 नहरी + .025 खाला}, 8/0.253, 9/.253, 13/.127, 18/.126, 19/.253, 22/.253, 23/1 का .088,	1.859 हैक्टर मय गैर मुमकिन

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 24.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर